कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख). जहां तक कालागढ़ में रामगंगा बांध के नीचे के क्षेत्रों का संबंध है, बांध के नीचे नदी तल में निर्माण कार्य हाथ में लिए जाने के कारण मई और जून, 1977 में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा सका । जहां तक तुमड़िया बांध से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का प्रश्न है, इस वर्ष कम वर्षापात के कारण प्राकृतिक जल-प्रवाह कम रहा । इस प्रकार उपलब्ध जल से केवल रबी की आवश्यकताएं ही पूरी की जा सकती थीं । इन दोनों बांधों की सिंचाई प्रणालियों में पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने की विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं है । बहरहाल, सिंचाई के लिए जल की सप्लाई से कुओं और तालाबों से जल की सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है। कालागढ बांध के मामले में जो स्थिति पैदा हुई है वह नदी तल में निर्माण कार्य की विशेष आवश्यकताओं के कारण हुई है । यह स्थिति सामान्त नहीं है इसलिए स्थिति में सुधार करने के लिए किसी विशेष कदम उठाने की जरूरत नहीं है । तुमड़िया बांध के संबंध में स्थिति यह है कि यहां पर जल की उपलब्धता प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करती है । बहरहाल, यहां की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोसी सिंचाई स्कीम को हाथ में लिया है जिससे कोसी के पानी के व्यपवर्तन द्वारा तुमड़िया बांध में जल संचय में वृद्धि होगी ।

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आए सिंध के शरणार्थियों का पुनर्वास

*420. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत पाक युद्ध के समय सिंध से कितने शरणार्थी भारत आये और कहां-कहां पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में बसाया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन शरणार्थियों पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(ग) क्या इन शरणार्थी शिविरों में शीत के प्रकोप से बचने के लिये ओढ़ने व बिछाने की पूरी व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या इन्हें स्थायी रूप से बसाने की भारत सरकार की कोई योजना है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत-पाक संघर्ष 1971 के परिणाम-स्वरूप सिंध से राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में 74,753 व्यक्ति आए । इन व्यक्तियों में से 53,117 राजस्थान राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जिलों में गुजरात राज्य के कच्छ तथा बनासकंठा जिलों के शिविरों में राहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) राजस्थान तथा गुजरात के शिविरों में इन विस्थापित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 250 लाख रुपये वार्षिक खर्च किये जा रहे हैं।

(ग) राहत सहायता के भाग के रूप में शिविरों में विस्थापित व्यक्तियों को ऊनी कम्बल रजाईयां दी जाती हैं।

(घ) जैसे ही स्थिति में सुधार हो जाएगा ये विस्थापित व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान लौटने के हकदार हैं। इसलिए उन के स्थायी पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ योजनाएं

हाल में ही मंजूर की गई हैं ताकि शिविरों में वे लगातार ही बेकार न रहते रहें।

गोबर गैस संयंत्र

*421. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोबर गैस योजना, कृषि विकास तथा ग्रामों के लिये आवश्यक समझती है और यदि हां, तो इसका द्रुतगति से प्रसार तथा प्रचार करने के लिये क्या किया जा रहा है;

(ख) क्या इस योजना में शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य नहीं की गई है और न इसके लिये कोई अनुदान दिया जाता है और यदि हां तो क्या सरकार का इस योजना में सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है जिससे कम खर्चीले गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की जा सके; और

(घ) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान इस योजना का विस्तार करने के लिये सरकार ने कितना व्यय किया है तथा कितने गैस संयंत्र लगाये गये तथा देश में इन संयंत्रों को लगाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। गोबर गैस संयंत्रों से अच्छी किस्म की खाद तथा रसोई के लिये गैस और मकानों व गलियों के लिये रोशनी मिलती है। इसके अलावा इन संयंत्रों से गांवों में स्वच्छ वातावरण बनता है। कृषि तथा ग्राम-विकास में इसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 100,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की एक योजना शुरू की गई है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों, कृषि उद्योग निगमों और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोत्साहन के रूप में छोटे संयंत्रों (60 और 100 घन फुट के) के लिये पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत, बड़े आकार के संयंत्रों के लिये 20 प्रतिशत तथा पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में लगाए गए संयंत्रों के लिये 50 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक गैस संयंत्र लगाने के लिये पूंजीगत लागत पर 33 प्रतिशत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है। राष्ट्रीयकृत बैंक गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिये ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने नियमों में संशोधन किया है ताकि सहकारी बैंकों के जरिये गोबर गैस संयंत्रों के कार्यक्रम के लिए आसानी से धन की व्यवस्था की जा सके। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम भी राष्ट्रीयकृत तथा भूमि विकास बैंकों को, गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए मुहैया किये गये ऋणों पर, पुनर्वित्त सुविधाएं मुहैया करने को राजी हो गया है। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शनों की व्यवस्था, विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहनात्मक साहित्य के मुद्रण आदि प्रोत्साहनात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

(ख) इस समय मल से प्राप्त गैस को भोजन पकाने के लिये और मलमूत्र युक्त घोल को खाद के रूप में प्रयोग करने के प्रति एक आम घृणा-सी दिखाई देती है। अतः योजना में शौचालयों की व्यवस्था को आवश्यक बनाने से प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है जिससे कार्यक्रम की प्रगति में बाधा पड़ सकती है। तथापि मल पर आधारित गैस के उत्पादन के लिये सामुदायिक आधार पर,